

LL.B.- I Semester Examination, Dec-2014
LAW-II (Constitutional Law of India)
(Nature of the Constitutions & Fundamental Rights)

Time : 3 hrs.]

(K-1002)

M.M: 100

नोट: सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।
Attempt all the Sections as per instructions.

खण्ड- 'अ' (Section-A)

नोट: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित हैं। Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words.

1. मूल अधिकारों की माँग कौन कर सकता है?
Who can claim the Fundamental Rights?
2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्त्व है?
What are the importance of Directive Principles of State Policy?
3. भारत के संविधान के उद्देशिका को लिखिए।
Write down the Preamble of the constitution of India.
4. हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? उन्हें लिखिए। How many Fundamental Rights are there in our constitution? Write all of them.
5. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत लगाए गए निर्बंधनों का उल्लेख कीजिए। Write down the restrictions imposed under Article 19(2) of the Constitution on the Freedom of speech and expression.

खण्ड- 'ख' (Section-B)

नोट: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित हैं। Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words.

6. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के साथ सम्बन्ध के विषय में न्यायालयों के दृष्टिकोण को समझाइए। Explain the judicial attitude on the relationship of the Directive Principles of State policy and the Fundamental Rights.

7. संविधान के अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत प्रदत्त अपराध के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। Discuss protection in respect of conviction for offences contained under Article 20 of the Constitution Refer to decided cases.
8. न्यायिक निर्वचन द्वारा विकसित 'युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धान्त' की विवेचना कीजिए। Discuss the 'doctrine of reasonable classification' evolved through judicial interpretation.

खण्ड- 'ग' (Section-C)

नोट: किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित हैं।

Attempt any three questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

9. "यद्यपि यह विषय अत्यन्त विवादास्पद रहा है कि भारत संघ है या नहीं और यद्यपि कुछ लेखकों ने तो भारत को 'अर्द्ध संघात्मक' भी कहा है, तथापि यह प्रतीत होगा कि भारतीय संविधान निश्चय ही संघात्मक है।" विवेचना कीजिए। "Although there has been considerable controversy whether India is or is not a federation and although some writers have called it, 'quasi-federal', it would seem that essentially the Indian Constitution is a federal one." Comment.
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अन्तर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय विस्तार का विवेचन कीजिए। अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत इस पर कौन-कौन से निर्बन्धन आरोपित किए गए हैं? Discuss the scope of freedom of speech and expression contained under Article 19 (1) (a) of the constitution. What restrictions placed on it under Article 19(2)?
11. निर्णीत वादों की सहायता से दैहिक स्वतंत्रता के नवोदित आयामों की विवेचना कीजिए। क्या इसके अन्तर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित है? With the help of decided cases discuss the new dimension of personal liberty. Does it include right to die?
12. यह कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम प्रतिभूति तब है जब राज्य धर्म सम्बन्ध क्षेत्र से पूर्णतया अलग रहे। क्या संविधान सभा ने व्यक्ति एवं संस्था के धार्मिक स्वतंत्रता की विस्तृत प्रतिभूति करते समय यह ध्यान रखा है कि धर्म और राज्य एक दूसरे से अन्तर्मिश्रित न हों? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। It has been said that the best guarantee of religious freedom is that the state should totally keep off from the field of religion while elaborately guaranteeing freedom of religion to individuals and denominations. Have the framers of the constitution of India taken the care to ensure that the religion and state do not intermix with each other? Discuss with the help of decided cases.
13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों की विवेचना निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए। With the help of decided cases discuss the constitutional remedies contained under Article 32 of the Constitution of India.